

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)

(A Central University)

No./R /2023/8/415

22 December, 2023

OFFICE ORDER

It is notified for all concerned that as per instructions contained in DoPT F.No.36011/1/2022-Estt.(Res-I) updated on 14/10/2022, in case of direct recruitment for the posts of Laboratory Assistant and Laboratory Attendant against Advt.No.R/A-NT/2023/01 dated 04/02/2023, the Candidates belonging to Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs), Persons with Disabilities (PwDs), and Economically Weaker Sections (EWSs) who have been selected on the same standard as applied to general candidates i.e. without relaxation in age limit in written examinations have not been adjusted against reserved vacancies and have been adjusted against unreserved (UR) vacancies. However, those who have availed of the relaxation in age limit in written examination have been adjusted against reserved vacancies.

By order,

Registrar (Offig.)

Copy to:-

- 1. I/c website cell for uploading it on the university website.
- 2. PA to VC for information of Hon'ble VC please.
- 3. PA to Registrar.
- 4. Guard File.



डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)

(A Central University)

क्र./आर/2023/८/415

22 दिसम्बर 2023

कार्यालय आदेश

सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि DoPT F.No.36011/1/2022-Estt.(Res-I) दिनांकित 14/10/2022 में निहित निर्देशों के अनुसार, विश्वकविद्यालय के विज्ञापन संख्या आरध्ए-एनटी/2023/01 दिनांक 04/02/2023 के अंतंगत विज्ञापित प्रयोगशाला सहायक व प्रयोगशाला परिचर के पदों के लिए सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दिव्यांतगजन (पीडब्ल्यूडी), और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) जिन्हें सामान्य उम्मीदवारों के लिए लागू समान मानक पर चुना गया है यानी लिखित परीक्षाओं में आयु सीमा में कोई छूट नहीं दिया गया है उन्हें आरिक्षत रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया गया है बल्कि अनारिक्षत (यूआर) रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया गया है। हालाँकि, जिन लोगों ने लिखित परीक्षा में आयु सीमा में छूट का लाभ उठाया है, उन्हें आरिक्षत रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया गया है।

आदेशानुसार

कुलसचिव (प्र.)

प्रतिलिपि :--

- 1. प्रभारी वेबसाइट सेल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 2. कुलपति जी के सचिव।
- 3. कुलसचिव जी के निज सहायक।
- 4. गार्ड फाइल।